उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1705/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-290-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(357)-2025

लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1) और (3), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर एतद्द्वारा, क0नि0-2-842/XI-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) तारीख 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(क) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" रख दी जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" रख दी जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" रख दी जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I) स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" रख दी जाएगी;

(II) स्तम्भ (5) में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]";

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, "के अधीन मद" के पश्चात कोष्ठक और अंक "(i)" बढ़ा दिये जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, स्तम्भ (3) में , -

(क) मद (v) के समक्ष स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" रख दी जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष स्तम्भ (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" रख दिया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष ,-

File No. 11-2099/310/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1971709)

(क) स्तम्भ (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष स्तम्भ (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" रख दिया जाएगा;

(ख) स्तम्भ (3) में मद (iv) और स्तम्भ (4) तथा (5) में उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
"(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	परन्तु यह कि सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	or	
	9	-";

(ग) स्तम्भ (3) में, मद (v) के समक्ष स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" रख दिया जाएगा;

(घ) स्तम्भ (3) में मद (vi) और स्तम्भ (4) तथा (5) में उससे तत्स्थानी संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के अलावा किसी अन्य परिवहन माध्यम द्वारा माल का परिवहन।	2.5	परन्तु यह कि सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट), वस्तुओं के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट कर प्रत्यय (क्रेडिट) के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। परन्तु यह और कि जहां बहु साधन

		वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट) नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह भी कि इस मद में अन्तर्विष्ट कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। (i) उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल की आवाजाही के लिए परिवहन के एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट कर प्रत्यय

		(क्रेडिट) लेने का हकदार होगा: (ii) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये। (iii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) माल का परिवहन जहां परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	परन्तु इस मद में अन्तर्विष्ट कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष,-

(क) स्तम्भ (3) में, मद (i) के समक्ष स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" रख दिया जाएगा;

(ख) स्तम्भ (3) में मद (i क) और स्तम्भ (4) तथा (5) में उससे तत्स्थानी संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(i क) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	परतु यह कि काराबार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट कर प्रत्यय (क्रेडिट) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] परन्तु यह और कि जहां समान काराबार में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां समान काराबार में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट) नहीं लिया जाएगा।

File No. 11-2099/310/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1971709)

	अथवा	
	9	-";

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		(iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के अलावा	9	-
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	-";

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (vi) के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" रख दी जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष, स्तम्भ (3) में,-

(क) मद (iक) और स्तम्भ (4) तथा (5) में उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों का निकाल दिया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा:-

"(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के अलावा अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं";

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , स्तम्भ (3) में, मद (ii) के समक्ष , स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" रख दी जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26	शीर्ष 9988 (अन्य के	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय	0.75	-";

	स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट	71 के अधीन आने वाले हीरों के संबंध में किए गए फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएं;		
	(माल) पर विनिर्माण सेवाएँ))	(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अधीन आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अधीन आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अधीन आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अधीन आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए फुटकर-कार्य पर लागू नहीं होगी; (ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;	2.5	

6
File No. 11-2099/310/2025-कर एवं नियंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1971709)

		(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अधीन आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अधीन आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से राज्य कर लगता है; (झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं; (ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं, निम्नलिखित के संबंध में-	9	

		(क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है।		
		(vi) सिलाई सेवाएँ।	2.5	
		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , स्तम्भ (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" रख दी जाएगी;

(ख) मद (iक) के समक्ष , स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" रख दी जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , स्तम्भ (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" रख दी जाएगी;

(ख) मद (iiiक) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iiiक) के समक्ष , स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" रख दी जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" रख दी जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अधीन आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं।	2.5	परन्तु यह कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं

				पर लगाए गए इनपुट कर का प्रत्यय (क्रेडिट) नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी सम्मिलित हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि स्तम्भ (3) में मद (i) द्वारा कवर की गयी आपूर्तियों पर स्तम्भ (5) में उनके समक्ष विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्तम्भ (4) में उनके समक्ष निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर नहीं लगाई जाएगी।	9	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या-क0नि0-2- /ग्यारह-9( )/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश( )-2025, दिनांक 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(ख) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 4 में,-

(i) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

"(xxxx)'माल परिवहन अभिकरण' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

File No. 11-2099/310/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1971709)

(ii) खंड (xxxx) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात्: -

"(xxxxi) 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' का वही अर्थ होगा जो, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-843/XI-9(47)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30-06-2017 के पैरा 2 के खंड (य ब) में इसके लिए समनुदेशित हो;

(xxxxii) 'हस्तशिल्प वस्तुओं' का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1710/XI-9(47)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(79)-2017 दिनांक 14-11-2017 में इसके लिए समनुदेशित हो;

(xxxxiii) 'परिवहन के साधन के प्रकार' का तात्पर्य माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxxxiv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके अधीन वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों , के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

2. उक्त अधिसूचना में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में कारबार के एक अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए रजिस्ट्रीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा।

आज्ञा से ,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

Digitally signed by
M.Devaraj
Date: 20-09-2025
21:40:49